140

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी–3/11/2002/3/एक भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :– पदोन्नति हेतु फरलो अवधि की गणना अर्हकारी सेवा में किए जाने के संबंध में।

संदर्भ :– इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक सी–3–11/2000/3/1, दिनांक 2–5 अगस्त, 2002, ज्ञाप क्रमांक सी–3–11/2000/3/1,दिनांक 30 जुलाई, 2007 एवं ज्ञाप क्रमांक सी–3–11/2000/3/1, दिनांक 20 फरवरी, 2008.

राज्य शासन द्वारा ज्ञापन दिनांक 2–5 अगस्त, 2002 द्वारा विभिन्न विभाग/स्थापनाओं में कार्यरत नियमित शासकीय सेवकों के लिए फरलो योजना लागू की गई थी जिसमें फरलो की शर्त क्रमांक 2.12 एवं 2.13 के प्रावधान निम्नानुसार है :–

2.12 संवर्ग में कर्मचारी की वरिष्ठता यथावत रहेगी। परन्तु वह संवर्ग में किसी प्रकार की क्रमोन्नति/पदोन्नति हेतु विचार में नहीं लिया जाएगा और न ही उसे क्रमोन्नति/पदोन्नति का काल्पनिक रूप से लाभ दिया जाएगा।

2.13 फरलो की अवधि पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना हेतु हिसाब में नहीं ली जाएगी।

2/ उक्त प्रावधान के तारतम्य में कतिपय विभागों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा जा रहा है:–

(1) संबंधित कर्मचारी के फरलो अवकाश से लौटने के बाद उससे कनिष्ठ शासकीय सेवक को दी गई पदोन्नति के दिनांक से उसे पदोन्नति की पात्रता होगी अथवा नहीं?

(2) शासकीय सेवक की फरलो से वापिस आने के बाद आयोजित होने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में संबंधित शासकीय सेवक की पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में फरलो की अवधि को गणना में लिया जाएगा अथवा नहीं ?

3/ उक्त संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिस शासकीय सेवक को फरलो अवकाश स्वीकृत किया गया है उसके फरलो अवकाश से लौटने पर उसकी वरिष्ठता यथावत रहेगी परन्तु फरलो अवधि में उससे कनिष्ठ शासकीय सेवक को दी गई क्रमोन्नति/पदोन्नति दिनांक से काल्पनिक पदोन्नति/क्रमोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

4/ फरलो अवधि वेतनवृद्धि एवं पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा गणना में नहीं ली जाती है। अत पदोन्नति एवं क्रमोन्नति/समयमान वेतन के लिए विचार करते समय फरलो अवधि की गणना अर्हकारी सेवा में नहीं ली जाएगी अर्थात् पदोन्नति/क्रमोन्नति, समयमान वेतन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना फरलो अवधि को घटाते हुए की जायेगी।

15/1/09

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी–3/11/2002/3/एक 2009

भोपाल, दिनांक 16 जनवरी, 0

प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र. भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक म.प्र., भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र.भोपाल
10. सचव, म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,म.प्र. च्च न्यायालय,खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सा.प्र.वि. मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल
18. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
19. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15/1/09

(व्ही.एस.सावनेर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग